79 81

# न्यायालय श्री मान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोट रीवा जिला रीवा म0प्र0

प्रकरण क्रमांक R. 5055-दो/17

Rs. 30/-

1– राम प्रगास सेन तनय स्व0 नर्वदा सेन उम्र 65 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम कुम्हरा पटवारी हल्का कुम्हरा तह0 सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

2– मन्धीर सेन तनय स्व0 नर्वदा सेन उम्र 65 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम कुम्हरा पटवारी हल्का कुम्हरा तह0 सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

— आवेदक गण

बनाम

2– रामनरेश सेन तनय जमुना सेन उम्र 50 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम कुम्हरा पटवारी हल्का कुम्हरा तह0 सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

2– शासन म0प्र0

—— अनावेदकगण

निगरानी विरूद्व निर्णय व आदेश श्रीमान राजस्व निरीक्षक वृत्त शाहपुर जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण कमांक 1/अ12 /16–17 निर्णय दिनांक 30–12–16 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न है :–

आवेदक रामनरेश सेन पिता जमुना सेन निवासी कुम्हरा तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 द्वारा अपने भूमि नं0 392 रकवा 0.206 हे0 स्थित ग्राम कुम्हरा तह0 सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 के सीमांकन हेतु

(8)

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 5055/III/17 (देवास) रामप्रसाद सेन/शासन देवास

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 06/6/19 | इस प्रकरण में दिनांक 2/8/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक शाहपुरा के प्रकरण क्रमांक 01/3-12/16-17 में पारित आदेश दिनांक 30/12/16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला देवास के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/5/19 को कलेक्टर जिला देवास के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।<br><br>सदस्य 6/6/19 | |